राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./समु.जागृ.दि./दिशा–निर्देश/2021–22/3951 दिनांक 27.9.2021

दिशा निर्देश

(सत्र 2021–22)

समुदाय जागृति दिवस

प्रस्तावना :–

राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन का दायित्व विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के माता–पिता/अभिभावक की अध्यक्षता में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी)/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) को प्रदान किया गया है। विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की बैठकें अनिवार्य हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह बैठकें प्रत्येक माह **अमावस्या के दिन** आयोजित की जानी हैं। एसएमसी/एसडीएमसी की प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली बैठकों को उद्देश्यपरक बनाने, सफल संचालन एवं मॉनिटरिंग हेतु वर्ष 2021-22 में SMC/SDMC की **3 बैठकें** निर्धारित दिन को आयोजित कर, उक्त बैठक के पश्चात/पूर्व **"समुदाय जागृति दिवस"** के रूप में मनाया जाना है। इस समुदाय जागृति दिवस हेतु वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 में 52341 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ₹ 157.023/- लाख एवं 15018 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु ₹ 45.054/- लाख राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही अमावस्या के दिन बाल सभा का आयोजन एवं अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक समुदाय जागृति दिवस निम्न विषयों पर आधारित होंगे :– **बाल विवाह, बाल श्रम, महिला सशक्तीकरण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, शौचालय, पेयजल, मिड–डे–मील, ठहराव व उपस्थिति, बालिका शिक्षा, जनसहयोग आदि।**

बाल सभा एवं अन्य गतिविधियों में अपने बच्चों को भाग लेते हुए देखने हेतु अभिभावक विद्यालय आने के लिए प्रेरित होंगे साथ ही अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक में अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षकों से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। समुदाय जागृति दिवस में नियमित कक्षा कार्य करने एवं नियमित उपस्थिति

वाले बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार भी दिया जायेगा। इन सब गतिविधियों से अभिभावकों की विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना बढ़ेगी साथ ही बच्चों के विद्यालय मे ठहराव भी बढ़ेगा।

समुदाय जागृति दिवस के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम :–

- समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम निर्धारित दिन को अंतिम चार कालांशों में आयोजित किये जायेंगे।
- ***प्रथम दो कालांश–*** माता–पिता/अभिभावकों एवं एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों की उपस्थिति में बाल सभा आयोजित की जाएगी। इसके अन्तर्गत छात्र–छात्राओं के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम, गायन, भाषण, वाद विवाद, नृत्य, निबन्ध लेखन, श्रुतिलेखन, पत्र वाचन, चित्रकला प्रतियोगिता, पेन्टिग प्रतियोगिता, नैतिक प्रवचन आदि का आयोजन किया जायेगा। (जो निम्न विषयों से सम्बन्धित होंगे :– बाल विवाह, बाल श्रम, बालिका शिक्षा, मिड–डे–मील, नामांकन–ठहराव, जनसहयोग, महिला सशक्तीकरण, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन आदि) विषयों पर चर्चा की जायेगी। इसके अलावा छात्र हित एवं रूचि के अनुसार अन्य गतिविधियॉ भी आयोजित की जा सकती हैं।
- ***अंतिम दो कालांश–*** एसएमसी की कार्यकारिणी समिति/एसडीएमसी की बैठक आयोजित की जायेगी, साथ ही अभिभावक–शिक्षक मीटिंग आयोजित की जायेगी जिसमें अभिभावक अपने बच्चों के प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करेंगे।

समुदाय जागृति दिवस पर आयोजित की जाने वाली कार्यकारिणी समिति एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक का एजेण्डा निम्नानुसार है :–

- एसएमसी/एसडीएमसी कार्यकारिणी समिति की पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना पर चर्चा।
- विद्यालय परिक्षेत्र में रहने वाले 6–14 आयु वर्ग के अनामांकित एवं ड्राप आउट बालक–बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश की कार्ययोजना (माइक्रो प्लान) बनाना।

- विद्यालय में पढ़ रहे बालक–बालिकाओं के शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करना :–
  - ✓ 10 बच्चों को पढ़ने (Reading, writing) के कौशल का एसएमसी/एसडीएमसी के समक्ष प्रस्तुतीकरण।
  - ✓ कक्षा कार्य, गृह कार्य की समीक्षा।
- एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में समुदाय के सदस्यों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों द्वारा समुदाय जागृति दिवस के दिन विद्यालय में पेड़ लगाना, साफ सफाई, सौन्दर्यकरण आदि कार्यों में किये गये सहयोग पर चर्चा।
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना व उसके क्रियान्वयन की प्रगति पर चर्चा करना।
- विद्यालय विकास में जनसहयोग की प्राप्ति एवं उसके उपयोग पर चर्चा।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधानों पर चर्चा।
- मिड–डे–मील पर चर्चा।

आपदा प्रबंधन :–

- वर्ष 2004 में तमिलनाडू में कुंभकोणम में लॉर्ड कृष्णा विद्यालय में दोपहर का भोजन बनाने के दौरान लगी आग से लगभग 94 छात्रों की दर्दनाक मृत्यु हुई।
- वर्ष 2004 में आये सुनामी में हजारों की संख्या में छात्र एवं शिक्षकों को अपनी जाने गवानी पड़ी।
- वर्ष 2001 में गुजरात में आये विनाशकारी भूकम्प में 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की अकाल मृत्यु हुई, 1051 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए जबकि 11761 विद्यालय भवन क्षतिगस्त हुये।
- वर्ष 1995 में हरियाणा के डबवाली में वार्षिक समारोह के दौरान लगी आग में 425 से अधिक लोगों की जाने गई जिनमें 200 से अधिक छात्र शामिल थे।
- उपर्युक्त आपदाओं के बारे में चर्चा एवं इनसे बचने के बारे में विमर्श करने से हमें ये सीख मिलेगी कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिये विद्यालय स्तर पर सुरक्षा के उपाय किये जाने की परम आवश्यकता है एवं विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को किन बुनियादी बातों की जानकारी होना आवश्यक हैं।

आपदा प्रबंधन पर समुदाय को शिक्षित करने का सबसे अच्छा सशक्त माध्यम बच्चों को शिक्षित करना है। इनके माध्यम से अभिभावक और अन्ततः समाज शिक्षित होता है।

समुदाय जागृति दिवस के दिन बच्चों को भूकम्प, आग, बाढ़, बीमारियों, जैसे कोरोना महामारी, सड़क सुरक्षा के नियमो पर छोटे–छोटे बचाव के टिप्स दिये जायें। साथ ही इसी दिन अभिभावकों के साथ विभिन्न आपदाओं एवं इनसे बचाव के उपायों पर चर्चा की जानी चाहिए। विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम जैसे : नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, पैन्टिग, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन कर छात्रों एवं शिक्षकों विभिन्न आपदाओं एवं उनसे बचाव के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

स्वच्छता :–

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालय में स्वच्छ पेयजल एवं बालक/बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय एवं मूत्रालय की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि कोई भी बालिका सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई बीच में ना छोड़े। जल सफाई, हाथ धोने, शौचालय की साफ सफाई, स्वच्छता गत व्यवहार परिर्वतन हेतु वांछित जानकारियाँ समुदाय जागृति दिवस के दिन अभिभावक एवं बच्चों को सम्प्रेषित की जानी चाहिए। स्वच्छता सम्बन्धी रोल प्ले, नुक्कड़ नाटक, गीत, वाद विवाद, निबंध लेखन आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो विद्यालय में सहायक नर्स दाई (एएनएम) को आमंत्रित कर किशोरी बालिकाओं को माहमारी सम्बन्धी स्वच्छता की जानकारी दिलवायी जानी चाहिए। साथ ही जागृति दिवस के दिन विद्यालय की साफ सफाई पर चर्चा हो तथा विद्यालय की स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक में कार्ययोजना बनाई जाए।

वित्तीय एवं व्यय प्रावधान : –

- प्रति समुदाय जागृति दिवस ₹ 100/- व्यय का प्रावधान किया गया है। अर्थात तीन बार आयोजित समुदाय जागृति दिवस के लिए प्रति विद्यालय कुल ₹ 300/- का प्रावधान किया गया है।
- जिला कार्यालय द्वारा निर्धारित बजट राशि सीधे ही विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में जमा की जायेगी।

- प्रति समुदाय जागृति दिवस राशि ₹ 100/- का व्यय विद्यालय प्रबंधन समिति/ विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति द्वारा निम्न प्रकार से किया जायेगा।
- ₹ 100/- का उपयोग बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार देने के लिए किया जायेगा।

1. प्रत्येक समुदाय जागृति दिवस को विद्यालय में सबसे ज्यादा नियमित आने वाले तीन बच्चों को पुरस्कृत किया जायेगा।
2. सर्वाधिक नियमित रूप से विद्यालय आने वाले दो–दो बच्चों को पुरस्कृत किया जायेगा।
3. पुरस्कृत किये जाने वाले बच्चों का रिकार्ड विद्यालय में रखा जायेगा। प्रत्येक बच्चे को दिया जाने वाला पुरस्कार ₹ 20/- से कम का नहीं होना चाहिए। पुरस्कार विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा क्रय किये जायेंगे।

तीन समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम हेतु निर्धारित कलैण्डर

क्र.सं.	माह	आयोजन तिथि
1	अक्टूबर	**SMC/SDMC की बैठक के दिन इस पर चर्चा हो।**
2	दिसम्बर	**SMC/SDMC की बैठक के दिन इस पर चर्चा हो।**
3	जनवरी	**SMC/SDMC की बैठक के दिन इस पर चर्चा हो।**

नोटः– समुदाय जागृति दिवस का आयोजन उपरोक्त माहों में SMC/SDMC की बैठक सम्पन्न होने के बाद/पूर्व आयोजित किया जा सकता है।

यदि किसी विशेष कारण से उपरोक्त दिनांक पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकें तो उसके अगले दिन इसका आयोजन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की स्वीकृति लेकर किया जाये। समुदाय जागृति दिवस के दौरान आयोजित की जाने वाली एसएमसी/एसडीएमसी बैठक का रिकार्ड विद्यालय में अवलोकन के लिए सुरक्षित रखा जाए। परन्तु बाल सभा का रिकार्ड अलग से रजिस्टर में रखा जाए। समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम आयोजन पश्चात प्रतिवेदन एवं निम्न प्रपत्र में सूचना परिषद् को उपलब्ध करानी है।

भामाशाह एवं समुदाय से जनसहयोग प्राप्त कर यथा संभव इस गतिविधि को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :–

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जायें।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा–निर्देशों, MOE, GoI, नई दिल्ली की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

नोटः–गतिविधि संचालन के दौरान कोविड–19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. भंवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./समु.जागृ.दि./दिशा–निर्देश/2021–22/3951 दिनांक :27.9.2024

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिलें।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिलें।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. रश्मि शर्मा)
अति. राज्य परियोजना निदेशक–द्वितीय

परिशिष्ट–1

Community awareness day

Physical and Financial Target of Districts 2021-22

(Rs. in Lakhs)

Sr. No.	DISTRICT	Total no. of School PS/Ups	Per School @ 300 Rs.	Total No. of Govt. Composite Sec./Sr. Sec. Schools*	Per School @ 300 Rs.	Total School (Ele+Sec. /Sr.Sec.)	Per School @ 300 Rs.
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.(in lakhs)
1	AJMER	1325	3.975	516	1.548	1841	5.523
2	ALWAR	2037	6.111	786	2.358	2823	8.469
3	BANSWARA	2731	8.193	455	1.365	3186	9.558
4	BARAN	1278	3.834	308	0.924	1586	4.758
5	BARMER	4014	12.042	694	2.082	4708	14.124
6	BHARATPUR	1172	3.516	544	1.632	1716	5.148
7	BHILWARA	2300	6.9	562	1.686	2862	8.586
8	BIKANER	1547	4.641	428	1.284	1975	5.925
9	BUNDI	965	2.895	274	0.822	1239	3.717
10	CHITTAURGARH	1409	4.227	408	1.224	1817	5.451
11	CHURU	886	2.658	504	1.512	1390	4.17
12	DAUSA	1166	3.498	375	1.125	1541	4.623
13	DHAULPUR	832	2.496	287	0.861	1119	3.357
14	DUNGARPUR	2275	6.825	394	1.182	2669	8.007
15	GANGANAGAR	1450	4.35	468	1.404	1918	5.754
16	HANUMANGARH	708	2.124	358	1.074	1066	3.198
17	JAIPUR	2735	8.205	962	2.886	3697	11.091
18	JAISALMER	994	2.982	189	0.567	1183	3.549
19	JALOR	1489	4.467	386	1.158	1875	5.625
20	JHALAWAR	1360	4.08	323	0.969	1683	5.049
21	JHUNJHUNU	1010	3.03	511	1.533	1521	4.563
22	JODHPUR	2758	8.274	695	2.085	3453	10.359
23	KARAULI	1064	3.192	316	0.948	1380	4.14
24	KOTA	766	2.298	316	0.948	1082	3.246
25	NAGAUR	2235	6.705	743	2.229	2978	8.934
26	PALI	1327	3.981	494	1.482	1821	5.463
27	PRATAPGARH (RAJ.)	1507	4.521	207	0.621	1714	5.142
28	RAJSAMAND	1404	4.212	296	0.888	1700	5.10
29	SAWAI MADHOPUR	754	2.262	305	0.915	1059	3.177
30	SIKAR	1309	3.927	611	1.833	1920	5.76
31	SIROHI	767	2.301	232	0.696	999	2.997
32	TONK	1108	3.324	334	1.002	1442	4.326
33	UDAIPUR	3659	10.977	737	2.211	4396	13.188
	Total	**52341**	**157.023**	**15018**	**45.054**	**67359**	**202.077**

सामुदायिक गतिशीलता

समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम सूचना प्रपत्र

जिला–

क्र. स.	प्रथम समुदाय जागृति दिवस				द्वितीय समुदाय जागृति दिवस				तृतीय समुदाय जागृति दिवस				योग
	लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
2													

कोरोना से बचाव के उपाय अपनायें

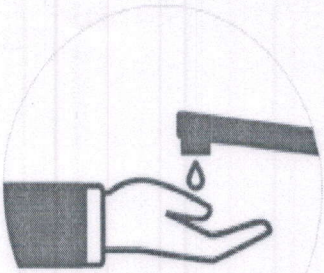

बार बार हाथ धोयें

मास्क पहन कर बाहर जायें

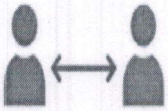

2 गज की दूरी बनायें रखें